रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 981] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2016/वैशाख 5, 1938
No. 981] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2016/VAISAKHA 5, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 1494(अ).— यत: दिल्ली मुख्य योजना में इसके अन्तर्गत उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29 दिसंबर, 2015 की सार्वजनिक सूचना का.आ.सं. 3526(ई) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा-अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: सार्वजनिक सूचना के उत्तर में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

<u>**संशोधनः**</u> जोन जी में सांस्थानिक क्षेत्र पंखा रोड़ के समीप जनकपुरी में 24 मी मार्गाधिकार सड़क के साथ स्थित निम्नलिखित 1.14 हेक्टेर क्षेत्र का भू-प्रयोग का परिवर्तन निम्नानुसार किया जाता हैः

क्र.सं.	अवस्थिति	क्षेत्रफल	दि.मु.यो.-2021 के अनुसार मौजूदा भूमि उपयोग	प्रस्तावित भूमि उपयोग	स्थल की सीमाएं
	1	2	3	4	5
1.	यह स्थल सांस्थानिक क्षेत्र, पंखा रोड़ के समीप जनकपुरी में 24 मी0 मार्गाधिकार सड़क के साथ, जिला पार्क का एक भाग है।	1.14 हेक्टेयर	"मनोरंजनात्मक उपयोग" (पी 2-जिला पार्क)	"उपयोगिता (यू-3 विद्युत, सब-स्टेशन)"	उत्तरः मौजूदा नाला एवं दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय/ओवर हैड वाटर टैंक पूर्वः जेल स्टाफ क्वार्ट्स/डी.बी.टी.बी. पश्चिमः 24 मीटर मार्गाधिकार सड़क दक्षिणः 13.5 मीटर मार्गाधिकार सड़क एवं गैस गोदाम

शर्तः

- यदि स्थल पर पेड़ हैं, तो संबंधित विभाग/निकाय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए।

[फा. सं. के-13011/1/2016-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 1494(E).— whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 3526 (E) dated 29th December, 2015 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, no objection/suggestion was received in response to the Public Notice.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area measuring 1.14 ha. located along 24M RoW road in Janakpuri adjacent to Institutional Area, Pankha Road in Zone G is changed as per description listed below:

S.No.	Location	Area	Existing as per Master Plan 2021	Proposed land use	Boundary of the site
1.	The site is part of District Park along 24m RoW road in Janakpuri, adjacent to Institutional area, Pankha Road.	1.14 ha.	'Recreational Use' (P2-District Park)	'Utility (U-3 Electricity, Sub-Station)'	**North:** Existing nallah & DJB Office/overhead water tank. **East:** Jail Staff Quarters/DBTB. **West:** 24M RoW Road. **South:** 13.5m RoW Road & Gas Godown.

Condition:

- If trees exist on the site, NOC from the concerned Department/Body may be obtained.

[F. No. K-13011/1/2016-DD-I]
SUNIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.